का॰ज्ञा॰ 20012/3/92-रा॰भा॰(क-1), दिनांक 30.7.1992

विषय:—''क'' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों/उपक्रमों आदि की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त की केवल हिन्दी में जारी करना

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समितिक ने अपने प्रतिवेदन खंड (4) में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिश भी की है:- सिफारिश सं॰ 9 (क)-विभागीय बैठकों/सम्मेलनों की कार्यसूची/कार्यवृत्त-

समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि एवं अन्य पत्राचार में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएं

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि केवल ''क'' क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि एवं उससे संबंधित पत्राचार केवल हिन्दी में परिचालित किए जा सकते है।

2. इस प्रसंग में सभी मंत्रालयों/विभागों के ध्यान इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14034/6/89--रा॰भा॰(क-1) दिनांक 20.6.88 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार ''क'' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों आदि की विभागीय और अन्तर्विभागीय बैठकों की कार्यसूचियां उन पर टिप्पणियां और कार्यवृत्त संबंधित कार्यालय/उपक्रम आदि चाहें तो केवल हिन्दी में जारी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका परिचालन केवल ''क'' क्षेत्र में किया जाना हो।

3. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश तथा इस संबंध में सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्देश तथा निर्णय अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों/केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में कार्यान्वयन हेतु ला दें। कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।